3. छ०ग०भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–131 के प्रावधान खेतीहर को अपने खेतो पर या ग्राम की बंजर भूमि या चारागाह पर मार्गाधिकार एवं अन्य प्राईवेट सूखाचार संबंधि अधिकार प्रदान करता है न कि किसी निजी कॉलोनी के लिए अधिकार प्रदान करता है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री शेषनारायण जायसवाल एवं अतिरिक्त तहसीलदार श्री शशिभूषण सोनी ने पद का दुरुपयोग करते हुए कालोनाईजर को शासकीय भूमि से नियम विरुद्ध रास्ता प्रदान कर शासन को राजस्व की क्षति कारित करने संबंध में की गई शिकायत सही पायी गई। उक्त कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में दिए गए प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतएव श्री शशिभूषण सोनी अतिरिक्त तहसीलदार बेलगहना (तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर) एवं श्री शेषनारायण जायसवाल तहसीलदार मरवाही जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (तत्कालीन नायब तहसीलदार बिलासपुर) को निलंबित कर संबंधितो के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

दिनांक :–

कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)